न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –06 / 2025

अनवान

मांगीबाई पत्नी राधेश्याम मेहर, उम्र बालिग, निवासी ग्राम मोहना, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। मो0 नं0 9602155406

–वादीगण

बनाम

1. श्रीमती मांगीबाई बेवा गोपाल बैरागी, उम्र बालिग, निवासी ग्राम मोहना, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. राजकुमार पुत्र गोपाल बैरागी, उम्र बालिग, निवासी ग्राम मोहना, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. अनिल पुत्र गोपाल बैरागी, उम्र बालिग, निवासी ग्राम मोहना, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

अप्रार्थीगण / विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री प्रदीप बीलू अभिभाषक वादी
प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

निर्णय दिनांक 19.03.2025

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने एकल खाते की जमीन ग्राम मोहना, प0ह0 एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में स्थित है जिसके खाता संख्या 229, खसरा संख्या 481, रकबा 1.5100 हेक्टर जमीन स्थित है। इसी प्रकार मुझ प्रार्थीया के संयुक्त खाते की जमीन ग्राम विजयपुर, प0ह0 एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा में जिसकी खाता संख्या 29, खसरा संख्या 259 रकबा 0.8000 हेक्टर जमीन है जिसमें मुझ प्रार्थीया की बहन कला बाई, जानीबाई व मेरी मां कस्तुरी बाई सहखातेदार है। इन सभी से हमारा 1/4–1/4 का हिस्सा है, इसमें मेरी मां कस्तुरी बाई का निधन हो चुका है तथा अब हमारा 1/3 का हिस्सा रह गया है। मेरे पिता के कोई जाईन्दा पुत्र नहीं है केवल हम तीन पुत्रियां है। लेकिन मेरे पिता की जमीन पर मैं अकेली ही काबिज हूँ। हमारे गांव के गोपाल बैरागी से मेरी पहचान थी, इसीलिए मैंने उसे मेरी खाते की जमीन आधी पाती पर खेती करने के लिए दे रखी थी, पिछले साल हरियाली आमवस्या पर गोपाल का निधन हो गया अब अप्रार्थीगण जो गोपाल के वारिसान है उनके मन में बंदियांति आ गई है तथा वह मुझे ब्लेकमेल कर रहे है कि पांच लाख रूपये दो नहीं तो हम तुम्हे जमीन पर खेती नहीं करने देंगे जबकि गोपाल मेरे से कोई राशि नहीं मांगता था उल्टा मैं गोपाल से राशि मांगती हूँ, जानी बाई भी गोपाल से रूपये मांगती है, गोपाल ने मेरी 15 बोरी धनिये की फसल बेच दी जिसके भी रूपये नहीं दिये तथा मेरे तार भी बेच दिये। मैंने गोपाल की बेटी को चार हजार रूपये भी मोबाईल पर गोपाल के कहने से डाले थे वह भी नहीं दिये। दिनांक 25.11.2024 को जब मैं खेत पर गई तो सारे अप्रार्थीगण लड़ाई–झगड़ा करने पर अमादा हुए। इसलिए वाद कारण दिनांक 25.11.2024 से [illegible] उत्पन्न हो रहा है। अंत में वादीया द्वारा निवेदन किया गया कि वादीया के [illegible] में [illegible] आशय की डिक्री व आदेश फरमाई जावें:– अ. प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 को [illegible] निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादी के एकल व संयुक्त [illegible] ग्राम मोहना व विजयपुर [illegible] स्थित है जिसका उल्लेख वादपत्र की कलम संख्या 01 [illegible] किया गया है उसमें प्रति[illegible] मुझे काश्त करने से नहीं रोके तथा ट्रेक्टर को हकाई–जुताई करने से नहीं रोके इस बाबत् जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पारित कर तदनुसार डिक्री जारी फरमाई जावें। ब. प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादपत्र की पैरा संख्या 01

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.04.25 12:27:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with CamScanner

में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादीगण वादीया के द्वारा काश्त खेती करने में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करें न ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावें। इस बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कर तदुनसार डिक्री जारी फरमाई जावें

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से वादपत्र का जवाब प्रस्तुत नही होने से तथा किसी प्रकार का खंडन प्रस्तुत नहीं होने से तनकियात कायम करने की आवश्यकता न होने से प्रकरण में कोई तनकी कायम नहीं की गई।

वादी ने वाद पत्र के कथन की पुष्टि में दस्तावेजी सबूत के रूप में वादीया मांगी बाई ने बयान गवाह कराए तथा पत्रावली में शामिल ग्राम मोहना प0ह0 एकलिंगपुरा की जमाबंदी सम्वत 2076–2079 की खाता संख्या 229 की खसरा संख्या 481 को प्रदर्श–1 और ग्राम विजयपुर प0ह0 एकलिंगपुरा की जमाबंदी सम्वत 2076–79 की खाता संख्या 29 की खसरा संख्या 259 को प्रदर्श–2 कराया। जिसमें वादीया क्रमशः एकल व संयुक्त खाते में राजस्व में खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

हमने वाद पत्र पर वादी वकील की एकपक्षीय विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील वादीया ने बहस में वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादपत्र में अंकित विवादित आराजीयात वादीया के नाम राजस्व में दर्ज रिकार्ड है। वाद पत्र में वर्णित आराजीयात वादीया के पिता के नाम से दर्ज थी, मेरे पिता के कोई जाईन्दा पुत्र नहीं है केवल हम तीन पुत्रीया है लेकिन मेरे पिता की जमीन पर वादीया अकेली काबिज है। यह जमीन मेने आधी पाती पर गोपाल बैरागी को खेती करने के लिए दे रखी थी किन्तु गोपाल के वारिसान जो प्रतिवादीगण उनके मन में बंदियाति आ जाने से मुझे ब्लेकमेल कर पांच लाख रूपये मांग रहे है तथा वादीया के खातेदारी भूमि पर कृषि कार्य नहीं करने दे रहे है जिससे भूमि पड़त पडी हुई है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे कि वह वाद पत्र मे वणिर्तत कृषि आराजीयात जो वादीया की खातेदारी भूमि होकर ग्राम मोहना व विजयपुर तहसील रावतभाटा में स्थित है उक्त भूमि पर किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करे ओर ना ही किसी अन्य दिगर व्यक्ति से करावे तथा वादीया को ट्रैक्टर से हंकाई व जुताई व काश्त करने से नहीं रोकें।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया वकील वादीया की बहस पर मनन किया। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत ग्राम मोहना प0ह0 एकलिंगपुरा की जमाबंदी सम्वत 2076–2079 की खाता संख्या 229 की खसरा संख्या 481 रकबा 1.51है0 और ग्राम विजयपुर प0ह0 एकलिंगपुरा की जमाबंदी सम्वत 2076–79 की खाता संख्या 29 की खसरा संख्या 259 रकबा 0.80है0 के सहखातेदार व खातेदार के रूप में वादीया के नाम सहखातेदार का अंकन होकर उक्त आराजीयात वादीया के नाम खातेदारी में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिससे वादीया उक्त आराजीयात के खातेदार होना प्रमाणित है। वादीया का कथन है कि उक्त खातेदारी की आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा कृषि कार्य करने से रोका जा रहा है तथा अनावश्यक परेशान किया जा रहा [illegible] त आराजीयात पडत रहने से वादीया को अपूरणीय क्षति हुई है। [illegible] वावत ग्राम मोहना प0ह0 एकलिंगपुरा की खाता संख्या 229 की ख[illegible] संख्या 481 रकबा 1.51है0 और ग्राम विजयपुर प0ह0 एकलिंगपुरा की खाता संख्या 29 [illegible] खसरा संख्या 259 रकबा 0.80है0 भूमि का स्थाई निषेधाज्ञा का होने का प्रमाणित होने से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.04.25 12:27:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with CamScanner

–:आदेश:–

अतः वादीया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–188 रा.टी.ए. बावत् स्थाई निषेधाज्ञा ग्राम मोहना प0ह0 एकलिंगपुरा की जमाबंदी सम्वत 2076–2079 की खाता संख्या 229 की खसरा संख्या 481 रकबा 1.51है0 और ग्राम विजयपुर प0ह0 एकलिंगपुरा की जमाबंदी सम्वत 2076–79 की खाता संख्या 29 की खसरा संख्या 259 रकबा 0.80है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर डिक्री पारित करने का स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीया को काश्त व ट्रेक्टर को हकाई–जुताई करने से नहीं रोके तथा उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादीगण वादीया के द्वारा काश्त खेती करने में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करें न ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावें।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को सुनाया गया। निर्णयानुसार डिक्री जारी की जावे।

(महेश गगोरिया)
सहायककलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
जिला चितौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.04.25 12:27:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद पत्र में डिक्री

(आदेश 2 नियम 6 ए 7 जा0 दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर रावतभाटा बईजलास

प्रकरण सं. –06/2025

अनवान

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –06/2025

अनवान

मांगीबाई पत्नी राधेश्याम मेहर, उम्र बालिग, निवासी ग्राम मोहना, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। मो0 नं0 9602155406

–वादीगण

बनाम

1. श्रीमती मांगीबाई बेवा गोपाल बैरागी, उम्र बालिग, निवासी ग्राम मोहना, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. राजकुमार पुत्र गोपाल बैरागी, उम्र बालिग, निवासी ग्राम मोहना, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. अनिल पुत्र गोपाल बैरागी, उम्र बालिग, निवासी ग्राम मोहना, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

अप्रार्थीगण/विपक्षी

वाद पत्र अन्तर्गत 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वकील वादी श्री प्रदीप कुमार विल्लू की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक 19.03.2025 में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष **अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्नानुसार डिक्री दी जाती है :–**

अतः वादीया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–188 रा.टी.ए. बावत् स्थाई निषेधाज्ञा ग्राम मोहना प0ह0 एकलिंगपुरा की जमाबंदी सम्वत 2076–2079 की खाता संख्या 229 की खसरा संख्या 481 रकबा 1.51है0 और ग्राम विजयपुर प0ह0 एकलिंगपुरा की जमाबंदी सम्वत 2076–79 की खाता संख्या 29 की खसरा संख्या 259 रकबा 0.80है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद कर डिकी पारित करने का स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है कि वादीया को काश्त व ट्रेक्टर को हकाई–जुताई करने से नहीं रोके तथा उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादीगण वादीया के द्वारा काश्त खेती करने में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करें न ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावें।

यह डिक्री आज दिनांक 19.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर और मोहर अदालत से जारी की गई।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

वादी	राशि	प्रतिवादी	राशि
1. वाद पत्र के लिये स्टाम्प	–	1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	–
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	–	2. आवेदन पत्र के लिये स्टाम्प	–
3. प्रर्दशों के लिये स्टाम्प	–	3. प्लीडर फीस	–
4. प्लीडर फीस	–	4. सक्षियों के लिये निर्वाह व्यय	–
5. सक्षियों के लिये निर्वाह व्यय	–	5. कमिश्नर फीस	–
6. कमिश्नर फीस	–	6. आदेशिका की तामील	–
7. आदेशिका की तामील	–	7. विविध	–
8. विविध	–		

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.04.25 12:27:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

Scanned with CamScanner